

1.10 (A)

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण एवं रिजर्व वनभूमि घोषित करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

प्रमाणित किया जाता है कि मा०मु०घो० सं० 811/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में नैनी से क्वैराली तक मोटर मार्ग (वा० लम्बाई० 1.825 किमी०) के निर्माण में प्रभावित 1.4175 है० भूमि के बदले दुगुने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 2.835 है० भूमि ग्राम स्यौतरा की सिविल बेनाप खाता सं० 52 श्रेणी 9 (3) ड कृषि योग्य बंजर भूमि के पैमायसी खेत नम्बर 6 तक राज्य सरकार की भूमि है। ग्राम स्यौतरा की सिविल बेनाप भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण व रिजर्व वनभूमि घोषित करने की कार्यवाही वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कर दी जायेगी।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अल्मोड़ा


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अल्मोड़ा